



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072026-274523  
CG-DL-E-15072026-274523

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3727]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948

No. 3727]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

(आयकर)

का.आ. 3890(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (एतश्मिन् पश्चात् जिसे 'उक्त अधिनियम' से संदर्भित किया गया है कि धारा 11 के साथ पठित अनुसूची V [तालिका: क्रम संख्या 7. नोट 5(क)(iii)(घ)], के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, पेंशन फंड अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोष (एसपीएफ) (पैन: ABOCS3010J) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित किया गया है) को निम्निलिखित शर्तों के पूरा होने के अध्याधीन, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को या उसके बाद, लेकिन 31 मार्च, 2030 को या उसके पहले, भारत में किए गए किसी पात्र निवेश (एतश्मिन् पश्चात् जिसे उक्त निवेश से संदर्भित किया गया है) के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजन के लिए विशेष व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, यथा:-

(क) निर्धारिती पिछले सभी प्रासंगिक वर्षों, जो कि उस अवधि के भीतर होंगे जो कि उस तारीख से प्रारंभ होगी जिस तारीख को ऐसा पात्र निवेश किया गया हो और उस तारीख को समाप्त होगी जिस तारीख को ऐसा निवेश परिसमाप्त

होता हो, से संबंधित रिटर्न उस निर्धारित तारीख को या उसके पहले जो कि उक्त अधिनियम की धारा 263 (1)(ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हो, दाखिल करेगा और आयकर नियमावली, 2026 के नियम 282 के खंड 1(झ) के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे रिटर्न के साथ-साथ धारा 515 (3)(ख) में यथा निर्दिष्ट किसी लेखाकार से फार्म 176 में प्राप्त अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा है;

(ख) निर्धारिती किसी तिमाही के दौरान अपने द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश का ब्यौरा ऐसी तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर आयकर नियमावली, 2026 के नियम 282 के खंड 1(ज) के प्रावधानों के अनुसार, फार्म सं. 175 में सूचित करेगा;

(ग) निर्धारिती अपने द्वारा किए गए ऐसे निवेश, जो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची V (तालिका) क्रम संख्या 7 के अंतर्गत छूट का पात्र है, से संबंधित आय और व्यय का अलग-अलग लेखा रखेगा।

(घ) निर्धारिती ओमान सरकार के कानूनों के तहत विनियमित होता रहेगा।

(ङ) निर्धारिती पर वैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने और भागीदारों या लाभानुभोगियों के लिए सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, विकलांगता, मृत्यु परक लाभ और अन्य मुआवजे दिए जाने के लिए स्थापित एक या एक से अधिक कोष या योजनाओं के संचालन की और इसमें निर्धारित अंशदान के लिए परिसंपत्तियों के निवेश की जिम्मेदारी होगी;

(च) निर्धारिती की आय और परिसंपत्ति का उपयोग केवल वैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने और खंड (ङ) में संदर्भित कोषों और योजनाओं के भागीदारों या लाभानुभोगियों के लिए निर्धारित अंशदान के लिए ही किया जाना चाहिए और ऐसी पेंशन कोष की आय और परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए; केवल उस भुगतान को छोड़कर जोकि भारत में निवेश किए जाने से भिन्न अन्य उद्देश्य के लिए ऋण या उधारी (अनुसूची V [उक्त अधिनियम, की तालिका: क्रम संख्या 7(क). नोट 5(ग) में यथा परिभाषित) के लिए किया गया हो;

(छ) भारत में निवेश किए जाने के लिए निर्धारिती के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण या उधारी (अनुसूची V [उक्त अधिनियम, की तालिका: क्रम संख्या 7(क) नोट 5(ग) में यथा परिभाषित) नहीं होना चाहिए; तथा

(ज) निर्धारिती निवेशिकी के दिन-प्रतिदिन के संचालन में भाग नहीं लेगा [जैसा कि अनुसूची V में [उक्त अधिनियम, की तालिका: क्रम संख्या 7 नोट 5(क)(iii)(ग) में यथा परिभाषित है] के दिन-प्रतिदिन के कार्य में कोई हिस्सा नहीं लेगा लेकिन निर्धारिती में किए गए निवेश के संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र का प्रयोग, जिसके तहत जिसमें निदेशकों या अधिशासी निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भी आता है को निवेशिकी के दिन-प्रतिदिन के कार्य में भागीदारी के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची V [तालिका: क्रम संख्या 7] में निर्धारित किसी भी शर्त और इस अधिसूचना के उल्लंघन से निर्धारिती कर छूट के लिए अपात्र हो जायेगा।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 84 /2026/ फा.सं. 500/पीएफ-15/एस10(23एफई)/एफटीएंडटीआर-II]

श्यामा सजी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department Of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2026

**(INCOME-TAX)**

**S.O. 3890(E).**— In exercise of the powers conferred by Schedule V [Table: Sl. No. 7. Note 5(a)(iii)(D)] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby specifies the pension fund, namely, Social Protection Fund (SPF) (PAN: ABOCS3010J) (hereinafter referred to as the assessee) as the specified person for the purposes of the said clause in respect of the eligible investment made by it in India on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette but on or before the 31st day of March, 2030 (hereinafter referred to as the said investments) subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

(a) the assessee shall file returns of income, for all relevant previous years falling in the period beginning from the date on which an eligible investment has been made, and ending on the date on which such investment is liquidated, on or before the due date specified under section 263(1)(c) of the said Act and furnish a compliance certificate in Form 176 from an accountant as defined in section 515(3)(b) along with such return, as per the provisions of clause 1(h) of rule 282 of the Income Tax Rules, 2026;

(b) the assessee shall intimate the details in respect of each investment made by it in India during the quarter within one month from the end of the quarter in Form No. 175, as per provisions of clause 1(g) of Rule 282 of the Income Tax rules, 2026;

(c) the assessee shall maintain a segmented account of income and expenditure in respect of such investments which qualifies for exemption under Schedule V (Table. Sl.No.7) of the said Act.

(d) the assessee shall continue to be regulated under the laws of the Government of Oman;

(e) the assessee shall be responsible for administering or investing the assets for meeting the statutory obligations and defined contributions of one or more funds or plans established for providing retirement, social security, employment, disability, death benefits or any similar compensation to the participants or beneficiaries of such funds or plans, as the case may be;

(f) the earnings and assets of the assessee should be used only for meeting statutory obligations and defined contributions for participants or beneficiaries of funds or plans referred to in clause (e) and no portion of the earnings or assets of the pension fund inures any benefit to any other private person; barring any payment made to creditors or depositors for loan taken or borrowing (as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7. Note 5(c)] to the said Act) for the purposes other than for making investment in India;

(g) the assessee shall not have any loans or borrowings (as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7. Note 5(c)] to the said Act), directly or indirectly, for the purposes of making investment in India; and

(h) the assessee shall not participate in the day-to-day operations of investee (as defined in Schedule V [Table: Sl. No. 7. Note 5(a)(iii)(C)] to the said Act) but the monitoring mechanism to protect the investment with the investee including the right to appoint directors or executive director shall not be considered as participation in the day-to-day operations of the investee.

2. Violation of any of the conditions stipulated in Schedule V [Table: Sl. No. 7] of said Act and this notification shall render the assessee ineligible for the tax exemption.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 84/2026/F.No. 500/PF-15/S10(23FE)/FT&TR-II]

SYAMA SAJI, Under Secy.